बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14, फोन नं0–2223727,2224529 फैक्स नं0– 2224529

अतिअल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–15/2016

1 निविदाकर्त्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय **28–03–2016** के अपराह्न **11.00** बजे से । 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय **30–3–2016** को अपराह्न 17.00 बजे तक 4.निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समयः **01–04–2016** को अपराह्न **15.00** बजे तक । 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : **04–02–2016** को **15.30** बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान–बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर । 7. निर्माण कार्य का व्योरा :–

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि रू0 में	परिमाण विपत्र का मूल्य रू0 में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रू0 में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	मुंगेर जिलान्तर्गत बी0एम0पी0–9 परिसर में रेल पुलिस अधीक्षक आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	67.95	135900	10000	1145	12 माह	
2.	बेगुसराय जिलान्तर्गत खोदाबन्दपुर थाना में महिला सिपाहियों हेतु 5 सीटेड शौचालय– सह–स्नानागार का निर्माण कार्य	10.71	21500	2500	1145	2 माह	पिछड़ा वर्ग श्रेणी

8. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
9. 10 लाख से ऊपर की निविदा ई–टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी । 15 लाख तक की निवदा में आरक्षण लागू रहेगा। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के बेवसाईट www.bpbcc.co.in /बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक–**28–03–2016 के 11.00 बजे अपराहन् से** प्राप्त की जा सकती है ।
10. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से उपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायगी, जो निविदा 40 लाख से उपर की है वह द्वि–वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी । परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से उपर के कार्य के लिए रू0 15,000/– + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से उपर के कार्य के लिए रू0 5,000/– + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रू0 1,000/– + 14.50 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामील कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा । निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट–बैंकिंग, NEFT/RTGS से बेवसाईट **www.eproc.bihar.gov.in** का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/ निविदा अपलोड नहीं करने, ईंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता , नेटवर्क यातायात /छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। **शेष परिमाण विपत्र का मूल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतेय दिनांक– 30–03–2016 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा ।** प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायगा । **अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ** बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक– **01–04–2016** तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा । ई.निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण–विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक **04–04–2016** के अपराहन् 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा ।
11. नियमानुसार अंकित क्रमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है । सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हे हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा ।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी । इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में बिषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यो की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा ।
13. (क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/– (तीन हजार रूपये) होगी । इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में हीं भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।
13. (ख) अन्य सरकारी विभाग यथा– सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा ।
14. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा सब कांट्रैक्टर का शपथ–पत्र संलग्न करना एवं वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
15. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवदादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।
16. सभी गैर–अनुसूचित मदों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में वित्तीय वीड अमान्य मानी जायगी ।
17. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जा सकती है ।
18. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :–(i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों ।
19. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तद्नुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी । समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी । अग्रधन की राशि छः/पाँच वर्षीय बचत प्रमाण–पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा । इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा ।

नोट :– ई–निविदा–पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है ।

ह0/– मुख्य अभियंता, पटना ।